

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 225/2023 वाद
GCMS No. - 2023/660

1. ठाकुर पुत्र धन्ना जी नाई निवासी बड़ौलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा हाल सैंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. पारसी पुत्री धन्ना जी नाई निवासी बड़ौलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा हाल सैंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. बंशी पुत्री धन्ना जी नाई निवासी बड़ौलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा हाल सैंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-वादी

बनाम

1. श्रीमति पार्वती देवी पत्नी दलीचंद जी धाकड़ निवासी बड़ौलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा।
2. बंशी पुत्री मोतीलाल जी नाई निवासी बड़ौलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा।
3. प्रहलाद कुमार पुत्र बंशीलाल जी नाई निवासी बड़ौलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- उपस्थित :-
- 1- श्री सुधीर कुमावत - अधिवक्ता वादीगण
 - 2- श्री शम्भूलाल तेली - अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 2 व 3
 - 3- श्री ईश्वरलाल धाकड़ - अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 1

:: निर्णय ::

दिनांक :- 08.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम बड़ौलीमाधोसिंह पटवार हल्का कड़ौलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 179 की आराजी नंबर 209 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 217 रकबा 0.1300 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.4600 हैक्टेयर व खाता संख्या 479 की आराजी नंबर 219 रकबा 0.6100 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 22.08.2024 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.10.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1. श्री ठाकुर पिता धन्ना, बंशीलाल पिता धन्ना, पारसी पुत्री धन्ना नाई सा.
बड़ौलीमाधोसिंह हाल सैंती चित्तौड़गढ़ खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
209 दक्षिण	0.17	बीड़ 1	0.85
219 दक्षिण	0.32	चाही 3	6.08

कुल कित्ता-2 0.49 6.93

- 2 श्री पार्वतीदेवी पत्नी दलीचंद धाकड़ निवासी बड़ौलीमाधोसिंह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
217 दक्षिण	0.11	चाही 1	3.36
220 उत्तर	0.38	चाही 1	11.59

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा



कुल किता-2

0.49

14.95

वकील उभयपक्ष ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। वादी पक्षकारान ने तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार बटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

1. श्री ठाकुर पिता धन्ना, बंशीलाल पिता धन्ना, पारसी पुत्री धन्ना नाई सा.
बड़ौलीमाधोसिंह हाल सेंती चित्तौड़गढ खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म	लगान
209 दक्षिण	0.17	बीड़ 1	0.85
219 दक्षिण	0.32	चाही 3	6.08

कुल किता-2

0.49

6.93

2 श्री पार्वतीदेवी पत्नी दलीचंद धाकड़ निवासी बड़ौलीमाधोसिंह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म	लगान
217 दक्षिण	0.11	चाही 1	3.36
220 उत्तर	0.38	चाही 1	11.59

कुल किता-2

0.49

14.95

तहसीलदार निम्बाहेडा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

प्रकरण संख्या 225/2023 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. ठाकुर पुत्र धन्ना जी नाई निवासी बड़ोलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा हाल सैंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. पारसी पुत्री धन्ना जी नाई निवासी बड़ोलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा हाल सैंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. बंशी पुत्री धन्ना जी नाई निवासी बड़ोलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा हाल सैंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-वादी

बनाम

1. श्रीमति पार्वती देवी पत्नी दलीचंद जी धाकड़ निवासी बड़ोलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा।
2. बंशी पुत्री मोतीलाल जी नाई निवासी बड़ोलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा।
3. प्रहलाद कुमार पुत्र बंशीलाल जी नाई निवासी बड़ोलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- उपरिस्थित :-
- 1- श्री सुधीर कुमावत - अधिवक्ता वादीगण
 - 2- श्री शम्भूलाल तेली - अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 2 व 3
 - 3- श्री ईश्वरलाल धाकड़ - अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 1

:: निर्णय ::

दिनांक :-08.01.2025

यह मुकदमा आज वारंते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री सुधीर कुमावत अधिवक्ता वादी, श्री शम्भूलाल तेली अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 2 व 3, श्री ईश्वरलाल धाकड़ अधिवक्ता प्रतिवादी नंबर 1 व पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेड़ा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम बड़ोलीमाधोसिंह पटवार हल्का कड़ोलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 179 की आराजी नंबर 209 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 217 रकबा 0.1300 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.4600 हैक्टेयर व खाता संख्या 479 की आराजी नंबर 219 रकबा 0.6100 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 22.08.2024 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.10.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1. श्री ठाकुर पिता धन्ना, बंशीलाल पिता धन्ना, पारसी पुत्री धन्ना नाई सा. बड़ोलीमाधोसिंह हाल सैंती चित्तौड़गढ़ खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
209 दक्षिण	0.17	बीड़ 1	0.85
219 दक्षिण	0.32	चाही 3	6.08

कुल कित्ता-2 0.49 6.93

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

2 श्री पार्वतीदेवी पत्नी दलीचंद धाकड़ निवासी बड़ौलीमाधोसिंह खातेदार


आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किरम	लगान
217 दक्षिण	0.11	चाही 1	3.36
220 उत्तर	0.38	चाही 1	11.59

कुल किता-2 0.49 14.95

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्वाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज मुबलिक..... वाबत.....
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..... को अदा करे
 बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.01.2025 को जारी की गई।

मुहर



(Signature)

दस्तखत

ओहदा

सहायक कलेक्टर
निम्वाहेड़ा

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
वाबत इजराय हुकमनामा			वाबत इजराय हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।